प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18.11.2024

थाना बलुआ जनपद चन्दौली

□थाना बलुआ द्वारा 01 अवैध असलहा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं आपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर चन्दौली विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बलुआ के कुशल नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध असलहा व 01 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।

संक्षिप्त विवरण— आज दिनांक 18.11.2024 को उ0िन0 अनिल कुमार यादव मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली कि 01 संदिग्ध व्यक्ति, जिसके पास अवैध असलहा होने की सम्भावना है, बाल्मिकी इंटर कॉलेज के बगल वाले रास्ते से गया पुल की तरफ जा रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा ग्राम सराय के पास से अभियुक्त भोला निषाद उर्फ हरिश्चन्द पुत्र पाखण्डी निषाद निवासी ग्राम पूरागणेश थाना बलुआ जनपद चन्दौली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध असलहा 315 बोर मय 01 कारतूस 315 बोर की बरामद की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 224/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. भोला निषाद उर्फ हरिश्चन्द पुत्र पाखण्डी निषाद निवासी ग्राम पूरागणेश थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 26 वर्ष।

विवरण बरामदगी -

1. एक अवैध असलहा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

- 1. मु0अ0सं0 13/2021 धारा 201, 302, 34 ipc थाना बलुआ जनपद चन्दौली
- 2. मु0अ0सं0 111/2021 धारा 3/25 A act थाना बलुआ जनपद चन्दौली
- 3. मु0अ0सं0 222/2021 धारा 3(1) गैंगेस्टर थाना बलुआ जनपद चन्दौली
- 4. मु0अ0सं0 224/2024 धारा 3/25 A act थाना बलुआ जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1. थाना प्रभारी शैलेश कुमार यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली
- 2. 30नि0अनिल कुमार यादव चौकी प्रभारी कैलावर थाना बलुआ जनपद चन्दौली
- 3. का0 शिशिर यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली।